UPMO280014192026

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी-सर्वेश कुमार मिश्र **(उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा UP2073)**

वाद संख्या **-6/2026**

विशाल चौधरी प्रति **अज्ञात।**

अ०सं० -123/2025

धारा 305 भारतीय न्याय **संहिता**।

थाना-जी.आर.पी. मुरादाबाद।

30.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आज वादी न्यायालय में अनुपस्थित है। विवेचनाधिकारी द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट पर वादी को नोटिस जारी किया गया था। वादी को जारी नोटिस पर थानाख्या प्राप्त हुई कि वादी मुकदमा के मोबाइल संख्या 8708614606 पर वार्ता कर न्यायालय की तिथि व आदेश से अवगत कराया गया, साथ ही वादी को व्हाटस ऐप के माध्यम से नोटिस की प्रति प्रेषित की गयी, व्हाटस ऐप की छायाप्रति संलग्न है। उपरोक्त के संबंध में न्यायालय द्वारा का0 धर्मेश कुमार का बयान अंकित किया गया।

न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद भी वादी द्वारा न तो कोई आपत्ति अथवा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वादी की मुकदमा की पैरवी में कोई रुचि नहीं है। पत्रावली के अवलोकनानुसार विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं हो रही है। अतः पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस थाना जी.आर.पी. द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट सं० 40/2025 दिनांकित 29.12.2025 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

आशुलिपिकः हरगोविन्द सिंह।